झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शि0) गिरिडीह / PDS —99 / 2021 - 378

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:—24.04.2024

विषयः— **गिरिडीह जिला अन्तर्गत बगोदर प्रखण्ड में PMGKAY के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2022 के अनाज गबन के आरोप से संबंधित परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0—औंरा, थाना—बगोदर, जिला—गिरिडीह का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवाद पत्र में गिरिडीह जिला अन्तर्गत बगोदर प्रखण्ड में PMGKAY के तहत् माह दिसम्बर 2022 का कुल आवंटित अनाज से कम अनाज राशन डीलरों को उपलब्ध कराने एवं अवशेष अनाज कुल 2781.52 क्वीन्टल का गबन कर लिये जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उक्त मामले की जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं गबन अनाज की वसूली कर वास्तविक लाभुकों तक पहुँचाने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/4/24

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx746

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission...

Mr. S. ...12/4/24

8.4.24 (384)

सेवा में,
शिकायत निवारण पदाधिकारी -सह-
अपर समाहर्ता
गिरिडीह

662
12.04.24

विषय: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत माह दिसंबर 2022 में बगोदर प्रखंड को अलॉटमेंट के विरुद्ध 2781.52 क्विंटल कम अनाज प्राप्त होने के बावजूद जन वितरण प्रणाली डीलर्स के मद से ऑनलाइन पूर्ण वितरण दर्शा कर उक्त अनाज (2781.52 क्विंटल) का गबन किया गया इसलिए इसकी जांच कर दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के संबंध में आवेदन।

महोदय,

जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य निगम, गिरिडीह के द्वारा सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा प्रसारित किया गया था कि माह दिसंबर 2022 में बगोदर प्रखंड को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत कुल आवंटन (ALLOTMENT) 6602.12 क्विंटल की जगह 3820.60 क्विंटल ही उपलब्ध (LIFTED QUANTITY) 3820.60 क्विंटल कराया गया है और इस लिहाज से 2781.52 क्विंटल अवशेष (BALANCE) अनाज रह गया है। उक्त प्रेस विज्ञप्ति में ये बताया गया है कि बैलेंस अनाज प्राप्त होते ही सभी प्रखंड को उपलब्ध करा दिया जाएगा। *(अनुलग्नक 1 का रेखांकित भाग देखें)*

करीब सवा साल बीत गया लेकिन अब तक बगोदर प्रखंड के डीलर्स को खाद्य आपूर्ति विभाग/डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता के द्वारा माह दिसंबर 2022 का बैलेंस अनाज नहीं पहुंचाया गया है। (नोट: माननीय झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची में वाद संख्या 34/2023 के आदेश के बाद सिर्फ औरा के डीलर श्री कुर्बान अंसारी को बैलेंस अनाज उपलब्ध कराया गया था) लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक डीलर को छोड़कर बाकी तमाम डीलर्स के पास माह दिसंबर 2022 का बैलेंस अनाज पहुंचाए बगैर ऑनलाइन ये दर्शा दिया गया है कि सभी डीलर्स ने उक्त महीने में आवंटन के विरुद्ध पूर्ण वितरण कर दिया है।

साफ है कि माह दिसंबर 2022 के बैलेंस अनाज 2781.52 क्विंटल (सिर्फ डीलर श्री कुर्बान अंसारी के हिस्से को छोड़कर) का गबन कर दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता श्री दिपेश कुमार और बगोदर के सहायक गोदाम प्रबंधक और अन्य कतिपय लोगों की संदिग्ध भूमिका रही है। इसलिए जांच कर दोषियों के खिलाफ

आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही इनसे गबन अनाज की वसूली कर वास्तविक हकदारों तक पहुंचाया जाए।

पुनश्च- चूंकि डीलर श्री कुर्बान अंसारी के मामले में मैंने माननीय झारखंड राज्य आयोग, रांची में वाद (34/2023) दाखिल किया था और इस गड़बड़ी को रेखांकित किया था जिसके बाद माननीय आयोग के आदेशोपरांत खाद्य आपूर्ति विभाग को माह दिसंबर 2022 का बैंलेंस अनाज श्री कुर्बान अंसारी को उपलब्ध कराना पड़ा था, इसलिए बाकी डीलर्स को भी ये अनाज उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि डीलर्स के द्वारा उक्त बैलेंस अनाज का वितरण राशन कार्डधारियों को किया जा सके। साथ ही बिना पूर्ण वितरण किए ही पूर्व में जो माह दिसंबर 2022 का बैलेंस अनाज का भी वर्चुअली गलत तरीके से ऑनलाइन पूर्ण वितरित दर्शाया गया है, उसमें वास्तविक रूप से सुधार कर इसे संपुष्ट किया जा सके।

प्रतिलिपि:

1. *माननीय अध्यक्ष, झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची*
2. *जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह*
3. *प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बगोदर*

औंरा, गिरिडीह

दिनांक: 04.04.2024

प्रकाश चन्द्र चंदन

प्रकाश चंद्र चंदन

ग्राम+पोस्ट- औंरा

थाना- बगोदर

जिला- गिरिडीह

झारखंड- 825322

मो.- 9835843610

prakashrti1980@gmail.com

(382)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला आपूर्ति शाखा)

ई–मेलः– dso.giridih@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 2576 /आ0, दिनांक 27.12.23

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

विषयः– वाद संख्या–63/2023 के मामले में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय ज्ञापांक 1055 दिनांक 21.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वाद संख्या–63/2023 परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन ग्राम+पो0 औरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह के मामले में आदेश पारित किया गया है। प्राप्त आदेश आलोक में डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता, बगोदर दिपेश कुमार और बगोदर के सहायक गोदाम प्रबंधक विकास कुमार के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि किसी प्रकार का अनाज गबन नही किया गया है। (आवेदन संलग्न) माह सितम्बर एवं दिसम्बर में कम अनाज प्रखण्ड को प्राप्त हुआ है, प्राप्त अनाज के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है (अवंटन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर पत्रांक 2610/दिनांक 13.12.2023 के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता खाद्यान्न का वितरण आदेशानुसार निगरानी समिति के उपस्थिति में किया गया है। (जिसकी प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि वाद संख्या–63/2023 को निष्पादित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
27.12.2023
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
गिरिडीह।
27.12.23

C:\Users\cc\Downloads\To_secratary.doc

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
जिला कार्यालय- गिरिडीह।

33

प्रेषक, पत्रांक [illegible] दिनांक 21/1/23

जिला प्रबंधक
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम
गिरिडीह।

सेवा में,

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी
गिरिडीह।

विषय: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) माह दिसम्बर 2022 अंतर्गत प्रखण्डों को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न के संबंध में आमजनों को सूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जन वितरण प्रणाली लाभुकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना माह दिसम्बर 2022 के अंतर्गत सभी प्रखंडों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न से संबंधित सूचना का प्रकाशन आम जनों के लिए प्रेस विज्ञप्ति रूप में किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन

Ajpandey 21/1/2023

जिला प्रबंधक
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम
गिरिडीह।

330

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
जिला कार्यालय–गिरिडीह।

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

एतद द्वारा सभी जन वितरण प्रणाली लाभुकों को सूचित किया जाता है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना **(PMGKAY)** अंतर्गत गिरिडीह जिला के लिए माह दिसम्बर–2022 का उप–आवंटित खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम द्वारा अंतिम तिथि **31.12.2022** तक कुल आवंटित खाद्यान्न **99069.19 Qtl** के विरूद्ध **73680.78 Qtl** उपलब्ध कराया गया है, जिसके संबंध में विभाग को पत्राचार किया गया है। अवशेष **25388.32 Qtl** भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होने पर सभी प्रखंड को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रखंडवार आवंटन के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न का विवरण निम्नवत् है :–

Sr. No.	BLOCK NAME	ALLOTMENT	LIFTED QUANTITY	BALANCE	Remarks
01	02	03	04	05	06
1	DHANWAR	10919.09000	6232.08000	4687.01000	
2	DUMRI	9296.11000	8762.72580	533.38420	
3	SURIYA	6588.87000	3336.32000	3252.55000	
4	[redacted]	6602.12000	3820.60000	[redacted]	
5	JAMUA	11259.38000	9274.17000	1985.21000	
6	DEORI	7624.20000	5003.95000	2620.25000	
7	GANWA	4633.89000	2551.73000	2082.16000	
8	TISRI	4051.28000	2334.76200	1716.51800	
9	GANDEY	7149.99000	6002.27000	1147.72000	
10	GIRIDIH	12612.68000	12575.88000	36.80000	
11	BENGABAD	6544.90000	6362.77000	182.13000	
12	BIRNI	7175.69000	3230.63000	3945.06000	
13	PIRTAND	4610.99000	4192.99000	418.00000	
	TOTAL:-	99069.19000	73680.87780	25388.31220	

21/1/2023

जिला प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।